P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत मे पर्यावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण कार्यप्रणाली
(राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद के विशेष सन्दर्भ में)

निधि शर्मा
प्रोफेसर
लेखाशास्त्र एवं विधि विभाग,
वाणिज्य संकाय,
दयालबाग शिक्षण सस्थान,
दयालबाग, आगरा,
उत्तर प्रदेश, भारत

गुरू प्रकाश सतसंगी
शोध छात्र,
लेखाशास्त्र एवं विधि विभाग,
वाणिज्य संकाय,
दयालबाग शिक्षण सस्थान,
दयालबाग, आगरा,
उत्तर प्रदेश, भारत

गौरव कुमार सौरभ
व्यावसायिक व्यावहारिक
अर्थशास्त्र विभाग,
दयालबाग शिक्षण सस्थान,
दयालबाग, आगरा,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

तत्कालीन पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या विकट रूप से सम्पूर्ण विश्व मे उभर रही है । पर्यावरणीय प्रदूषण के कारणो मे से एक कारण औधोगिकरण है। इस प्रकार पर्यावरणीय सन्तुलन तथा औधोगिकरण के मध्य गहराई को कम करने हेतु कानूनी कार्यप्रणाली का अनुमोदन प्रज्वलित हो गया है। कानूनी कार्यप्रणाली के रूप मे, केन्द्रीय पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद, राज्य पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति, पर्यावरण मानक निधारर्ण निकाय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। किन्तु पर्यावरणीय संरक्षण की सक्रिय क्रियावन्यन का अभाव है जिस कारण पर्यावरण सम्बन्धित सभी लाभो से वचिंत हो गये है। पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में सभी को पर्यावरणीय संरक्षण उत्तरदायित्व मापदण्ड की दिशा निर्देशो का अनुपालन करना चाहिए। प्रस्तुत शोध प्रपत्र मे भारत देश मे पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण हेतु उपलब्ध केन्द्रीय पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद तथा राज्य पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद के कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति, केन्द्रीय एवं राज्य पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद ।

प्रस्तावना

भारत एक प्राकृतिक संसाधन मे सबसे समृद्ध देश है, गर्मी, वर्षा एवं शीत ऋृतु परिर्वतन के कारण अधिकतम प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। किन्तु जनसंख्या की अनियन्त्रित वृद्धि की विभिन्न आवश्यकताओ की आपूर्ति हेतु औधोगिकीरण जन्म हुआ। औधोगिकीरण से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनो का अविवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण असन्तुलित हो गयी अर्थात पर्यावरण प्रदूषण समस्या उत्पन्न हुई, जिसका समाधान हेतु पर्यावरणीय संरक्षण वर्तमान समय की माँग है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहारण जल प्रदूषण सम्बन्धित है। जल की महता '' जल ही जीवन है'' से प्रदर्शित होता है। प्रकृति द्वारा जल निःशुल्क प्रदान की गई है। किन्तु जल प्रदूषण के कारण भारतीय नागरिक का एक बडा समूह स्वच्छ जल प्राप्त करने हेतु आर0 ओ0 जल को बेचने वाली विभिन्न कम्पनिया उदाहारणतः निजी कम्पनियो द्वारा Besleri, Bailey, Aquafina, Himliayan तथा भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेल नीर नामक व्यवसाय संचालित हो रही है।

सम्पूर्ण विश्व मे, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटनाए भारत देश मे भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 मे, अमेरिका मे लव कैनाल घटना वर्ष 1978 मे, ऊकेन मे चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयन्त्र आपदा वर्ष 1986 मे, तथा जापान देश मे प्रसिद्ध पर्यावरणीय त्रासदी अर्थात मिनीमाता पारा विषाक्त वर्ष 1956 मे घटित हुए थे। जो पर्यावरण संरक्षण की आवश्कता को प्रर्दशित होता है। तेजी से परिर्वतनशील जलवायु, ग्लेशियर मेल्टडाऊन, मिटटी का क्षरण, भूमि का कटाव, वनो की कटाई जैसी मुददो ने पर्यावरण संरक्षण की महत्व के प्रति जागरूकता मे अत्यन्त वृद्धि हुई उदाहारणतः चिपको आन्दोलन जे0 पी0 मेहता बनाम भारत संघ

पर्यावरणीय संरक्षण उत्तरदायित्व तथा सतत औधोगिकीकरण विकास के मध्य सेतु पुल का निर्माण का कार्य राज्य पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद करती है । प्रस्तुत शोध प्रपत्र में पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण करने की कार्यप्रणाली तकनीको से उपलब्ध कानूनी रूपरेखा का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

महमूद एट अल। (2018) प्रथम अनुभाग बेहतर पर्यावरणीय प्रकटीकरण निष्पादन, द्वितीय अनुभाग मध्यम पर्यावरणीय प्रकटीकरण निष्पादन तथा तृतीय अनुभाग निम्न पर्यावरणीय प्रकटीकरण निष्पादन। सुझाव दिया है कि इन अन्तरो को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

1. देबयान रे (2017) अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूँजीगत बजटन निर्णयन लेने के लिए मात्रातमक विधियो का अभाव है। पर्यावरण के साथ रहने के लिए, पर्यावरण को संन्तुलित करने के लिए तथा अग्रिम संसाधनों का उपयोग करने हेतु पर्यावरण संरक्षण नीतियों का कियान्वयन करना चाहिए।
2. दास, (2016) अध्ययन से ज्ञात होता है,कि लेखांकन का बिन्दु यह है कि स्थायी आर्थिक विकास की योजना के लिए पर्यावरणीय रूप से समायोजित सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) की आवश्यकता होती है।
3. सोना अलीजादे अघदम (2015)अध्ययन से ज्ञात होता है कि पर्यावरण संवेदनशील फर्म उच्च पर्यावरणीय सूचनाओ का प्रकटीकरण रही है। तथा दूसरी तरफ उद्योग के प्रकार, फर्म आकार, उत्तोलन तथा स्वैच्छिक पर्यावरणीय प्रकटीकरण के मध्य एक सकारात्मक सम्बन्ध ज्ञात होता है तथा स्वैच्छिक पर्यावरणीय प्रकटीकरण एवं लाभदायकता के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध नही पाया होता है।
4. अहमद एण्ड सुलेमान (2015) मलेशिया देश में निर्माणी एंव उधोग उत्पाद बनाने में संलग्न कम्पनियों की वर्ष 2010 की वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये ऐच्छिक पर्यावरणीय प्रकटीकरण का परीक्षण किया तथा यह पाया गया है कि पर्यावरणीय प्रकटीकरण की विस्तार बहुत कम है। इस विषय का कोई विशेष ध्यान नहीं था।
5. भाटी (2002) प्रस्तुत शोध में भारत देश की उपभोक्ता की पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बन्धित जागरूकता की परीक्षण किया। यह ज्ञात हुआ कि भारतीय पर्यावरणीय मुद्दो के प्रति अधिक जागरूक है।
6. रोमराह ऐट ऑल (2002) प्रस्तुत प्रपत्र में मलेशिया देश में स्थापित पर्यावरणीय संवेदनशील उधोग की 362 कम्पनियों में से केवल 74 कम्पनियों ही पर्यावरणीय सूचनाएं अपने वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करती है।
7. इमाम (2000) प्रस्तुत अध्ययन में बंग्लादेश की स्कंध विपणि में सूचीबद्ध 34 कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन किया तथा यह ज्ञात हुआ कि केवल 22. 5 प्रतिशत प्रतिदर्श कम्पनिया है।

अध्ययन की आवश्यकता

ऊपर वर्णित साहित्यिक पुर्नविलोकन से यह ज्ञात होता है कि पर्यावरण प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण हेतु उपलब्ध कानूनी रूपरेखा की कार्यप्रणाली का अध्ययन नही किया गया। जिसके अर्न्तगत पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद द्वारा निर्गत (अनापतित प्रमाण पत्र) (No Objection Certificate) जारी करने की प्रकियाओ का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का निम्नलिखित दो उददेश्य है

1. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उपलब्ध कानूनी रूपरेखा का अध्ययन करना का एक प्रयास है।
2. उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनो के प्रभावी व कुशल प्रबन्धन हेतु सुझाव देना है ।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रासगिकता

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से पूर्व मे मुख्यतः किसी भी व्यवसाय (व्यापार + उद्योग) मे वायु प्रदूषण अथवा जल प्रदूषण अथवा दोनो प्रकार के प्रदूषण करते है । इसीलिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 का मुख्य उददेश्य बढती हुई प्रदूषण का रोकथाम व न्यून करना है । जल प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत सीवर हैं। अर्थात मल मूत्र की नाली को नदियो से जोडना है। फलस्वरूप जल की गुणवता मे निरन्तर कमी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियो बढती जा रही है। उदाहारणः तत्तकालीन समय वर्ष 2020 के जनवरी माह मे चाइना देश मे कोरियाना वाइरस भी एक ज्वलन्त वास्तविकता है ।

वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम का भी मुख्य उददेश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रित करना है जिसका मुख्य कारण शहरो मे यातायात साधन से उर्त्सजित क्रबन एवं विषैला गैस है। फलस्वरूप पर्यावरण मे वायु की गुणवता मे कमी होती है। जिससे दमा एंव श्वसन रोगी की संख्या मे वृद्धि होती है।

राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा प्रदूषण नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित तीन प्रकार से करती है।

1. स्थापनार्थ सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र)
2. परिचालन सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र)
3. प्राधिकार सहमति

उपयुर्क्त आवेदन प्रपत्रो की प्रक्रिया का रूपरेखा **निम्नलिखित** है।

1. स्थापनार्थ सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र) (Consent to Establish)

कम्पनियो द्वारा प्लाण्ट स्थापित करने से पहले सम्बन्धित राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण से स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना होता है, जिसमें स्थापित करने वाले प्लाण्ट की प्रकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ निधार्रित शुल्क को मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करके निधार्रित प्रकिया से सहमति प्राप्त करते है।

2. परिचालन सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) (Consent to Operate)

कम्पनियो द्वारा प्लाण्ट परिचालन करने से पहले सम्बन्धित राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण से स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना होता है,क्योकि यह सुनिश्चित करते है कि किस प्रकार का प्रदूषण होगा मुख्य रूप से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण है जिनको निवारण एवं नियन्त्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक ऑनलाइन माध्यम से निरीक्षण करना सम्भ्व है। उदाहारणतः एयर ट्रीटमेन्ट प्लॉण्ट एवं इफ्यूलेन्ट

ट्रीटमेन्ट प्लॉण्ट की प्रकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ निधार्रित शुल्क को मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करके निधार्रित प्रकिया से सहमति प्राप्त करते है।

3. प्राधिकार सहमति (Consent to Authoriasation)

परिसंकट अपशिष्ट नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकार विषयक की आवश्यकता होती है, जब परिसंकट अपशिष्ट पदार्थो के निवारण हेतु प्लॉण्ट नही होता है। टी0 एस0 डी0 एफ0 (Treatment, Storage, Disposal Facility) की सदस्यता प्रमाण प्रत्र लेनी पडती है तथा परिसंकट अपशिष्ट पदार्थो को निष्तारित किया जाता है ।

मुख्यालय स्तर पर निरतारित होने वाले उद्योगो से पाप्त स्थापनाथ सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र)के आवेदन पत्रों के निस्तारण का फलो चार्ट

सर्वप्रथम प्रकिया में ऑनलाइन उद्योग बन्धु की निवेश मित्र की वेबसाइट पर उपलब्ध स्थापनार्थ सहमति आवेदन पत्र में अंकित संलग्नक एवं निर्धारित शुल्क सहित आवेदन किया जाता है। द्वितीय प्रकिया में बोर्ड स्तर पर आवेदन पत्र संलग्नक एवं शुल्क की जाँच की जाती है। तृतीय प्रकिया में उद्यमी को आवेदन पत्र की कमियों से अवगत कराते है। चर्तुथ प्रकिया में, क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण आख्या एवं प्रकरण पर संस्तुति प्राप्त करते है। पंचम प्रकिया में निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा स्थापनार्थ सहमति निरस्त किया जाता है। षष्ठ प्रकिया में मुख्यालय स्तर पर आवेदन पत्र पर प्राप्त संस्तुति के अनुक्रम में गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है एवं उद्यमी को पत्र प्रेषित किया जाना, सप्तम प्रकिया में उद्यमी को आवेदन पत्र पर लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए नियमानुसार संवेदनशील अनुपालन हेतु बैंक गारन्टी जमा करने हेतु पत्र प्रेषित करते है तथा अन्तिम प्रकिया में बैंक गारन्टी प्राप्त होने पर उद्यमी को स्थापनार्थ सहमति निर्गत करते है।

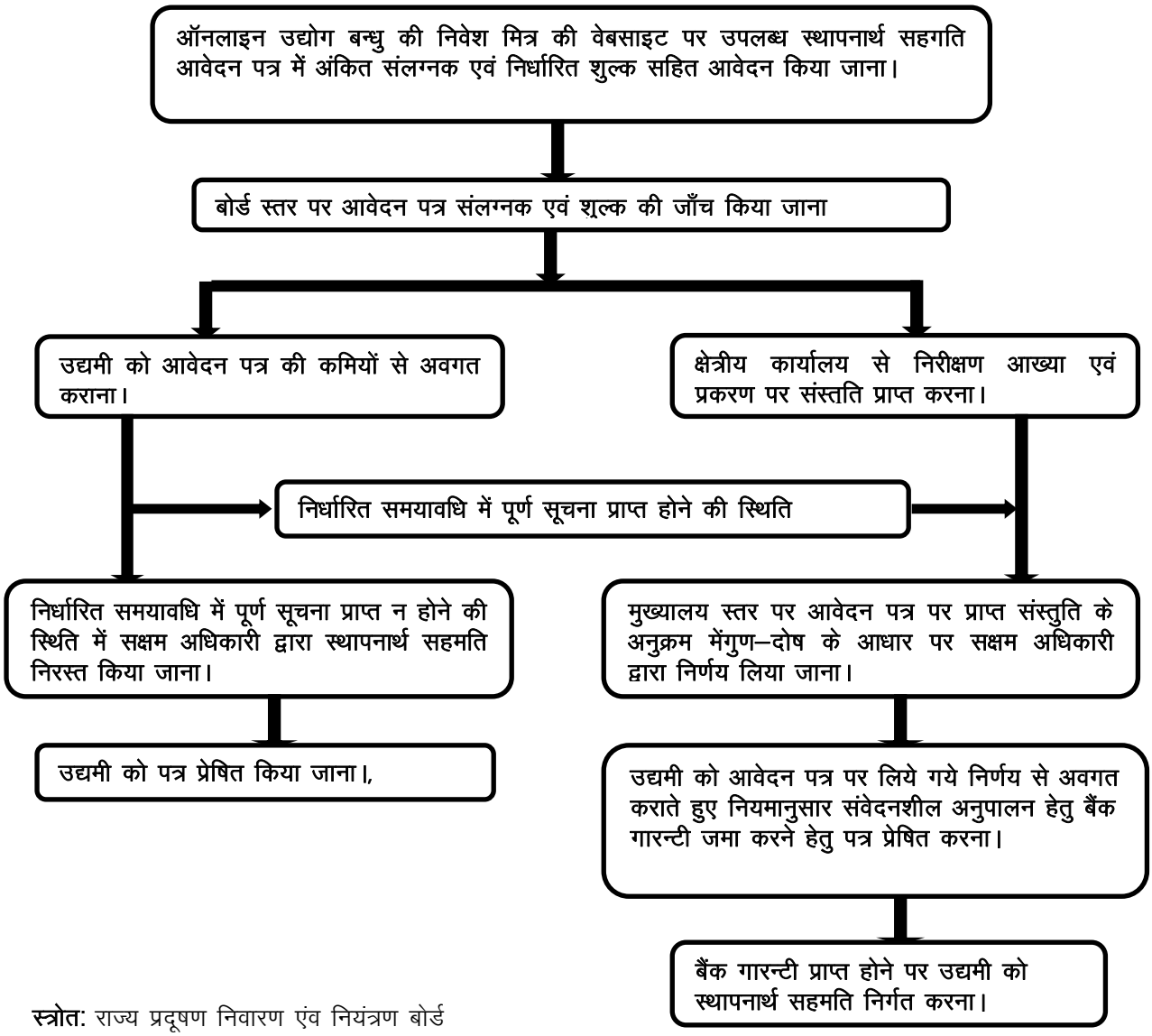

स्त्रोत: राज्य प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण बोर्ड (www.spcb.nic.in)

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निरतारित होने वाले उद्योगो से प्राप्त स्थापनार्थ सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र)

सर्वप्रथम प्रकिया में ऑनलाइन उद्योग बन्धु की निवेश मित्र की वेबसाइट पर उपलब्ध स्थापनार्थ सहगति आवेदन पत्र में अंकित संलग्नक एवं निर्धारित शुल्क सहित आवेदन किया जाना है द्वितीय प्रक्रिया में, बोर्ड स्तर पर आवेदन पत्र संलग्नक एवं शुल्क की जाँच की जाती है। तृतीय प्रकिया में, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्यमी को आवेदन पत्र की कमियों से अवगत कराते है तथा इन कमियो को दूर करके क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते है। चर्तुथ प्रकिया में सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण करते है यदि सक्षम अधिकारी निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर प्राप्त संस्तुति के अनुक्रम में गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचम प्रक्रिया में उद्यमी को स्थापनार्थ सहमति आवेदन पत्र पर लिये गये निर्णय से अवगत कराते है। अथवा निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में उद्यमी को पत्र प्रेषित किया जाता है।

आवेदन पत्रों के निस्तारण का फलो चार्ट

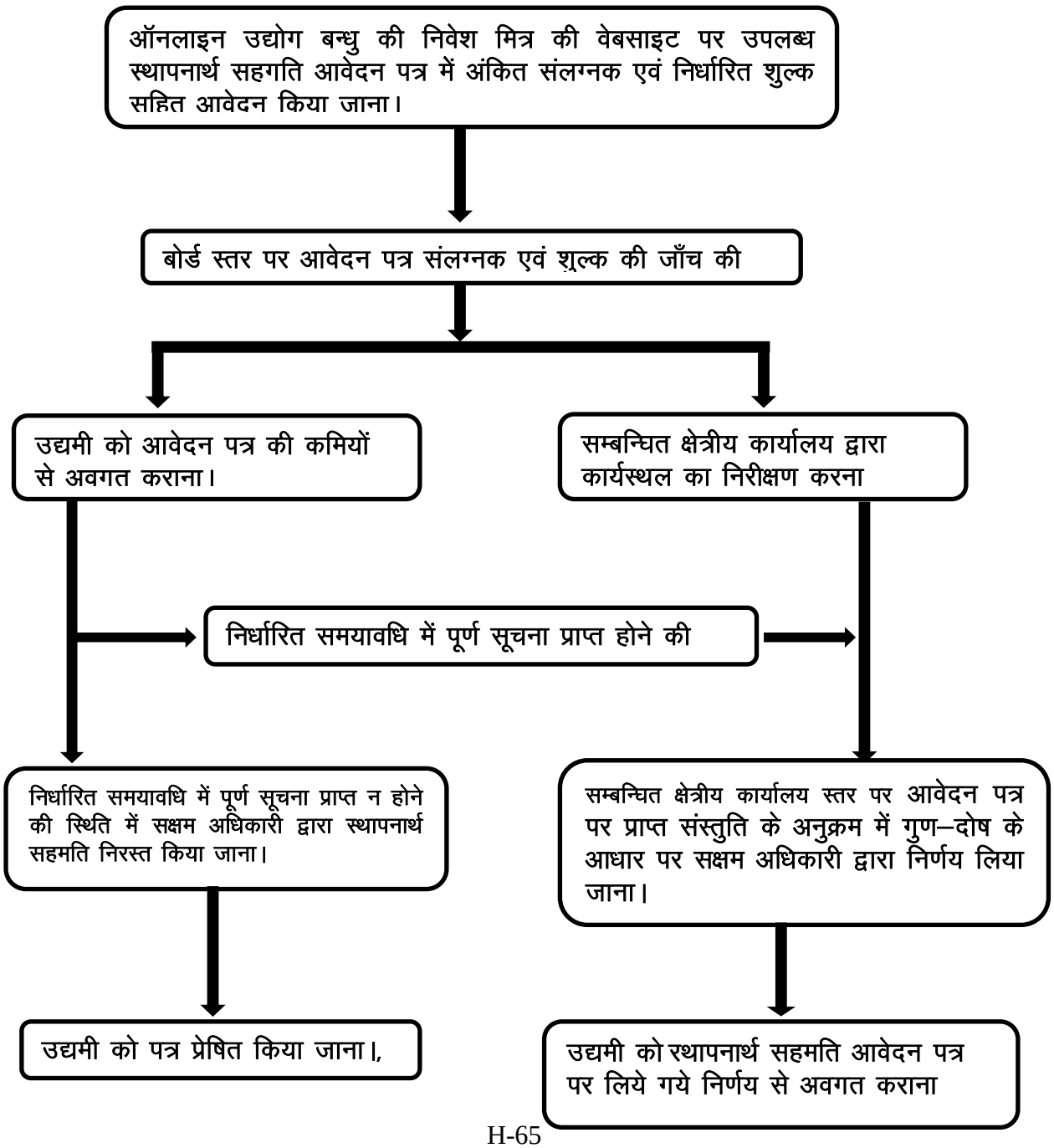

स्त्रोत: (www.spcb.nic.in)

मुख्यालय स्तर पर निरतारित होने वाले उद्योगो से प्राप्त परिचालन सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र)

सर्वप्रथम प्रकिया में ऑनलाइन उद्योग बन्धु की निवेश मित्र की वेबसाइट पर उपलब्ध सहमति आवेदन पत्र में अंकित संलग्नक एवं निर्धारित शुल्क सहित आवेदन किया जाता है। द्वितीय प्रकिया में बोर्ड स्तर पर आवेदन पत्र संलग्नक एवं शुल्क की जाँच की जाती है। तृतीय प्रकिया में उद्यमी को आवेदन पत्र की कमियों से अवगत कराते है। चर्तुथ प्रकिया में क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण आख्या एवं प्रकरण पर संस्तुति प्राप्त करते है। पंचम प्रकिया में निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा स्थापनार्थ सहमति निरस्त किया जाता है। षष्ठ प्रकिया में मुख्यालय स्तर पर आवेदन पत्र पर प्राप्त संस्तुति के अनुक्रम मेंगुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना एवं उद्यमी को पत्र प्रेषित किया जाता है।, सप्तम प्रकिया में उद्यमी को निर्धारित प्रारूप मे सहमति आदेश निर्गत किया जाता है।, सप्तम प्रकिया में अति प्रदूषणकारी उद्यमी को आवेदन पत्र पर लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए नियमानुसार संवेदनशील अनुपालन हेतु बैंक गारन्टी जमा करने हेतु पत्र प्रेषित करते है। अन्तिम बैंक गारन्टी प्राप्त होने पर उद्यमी को स्थापनार्थ सहमति निर्गत करते है।

आवेदन पत्रों के निस्तारण का फलो चार्ट

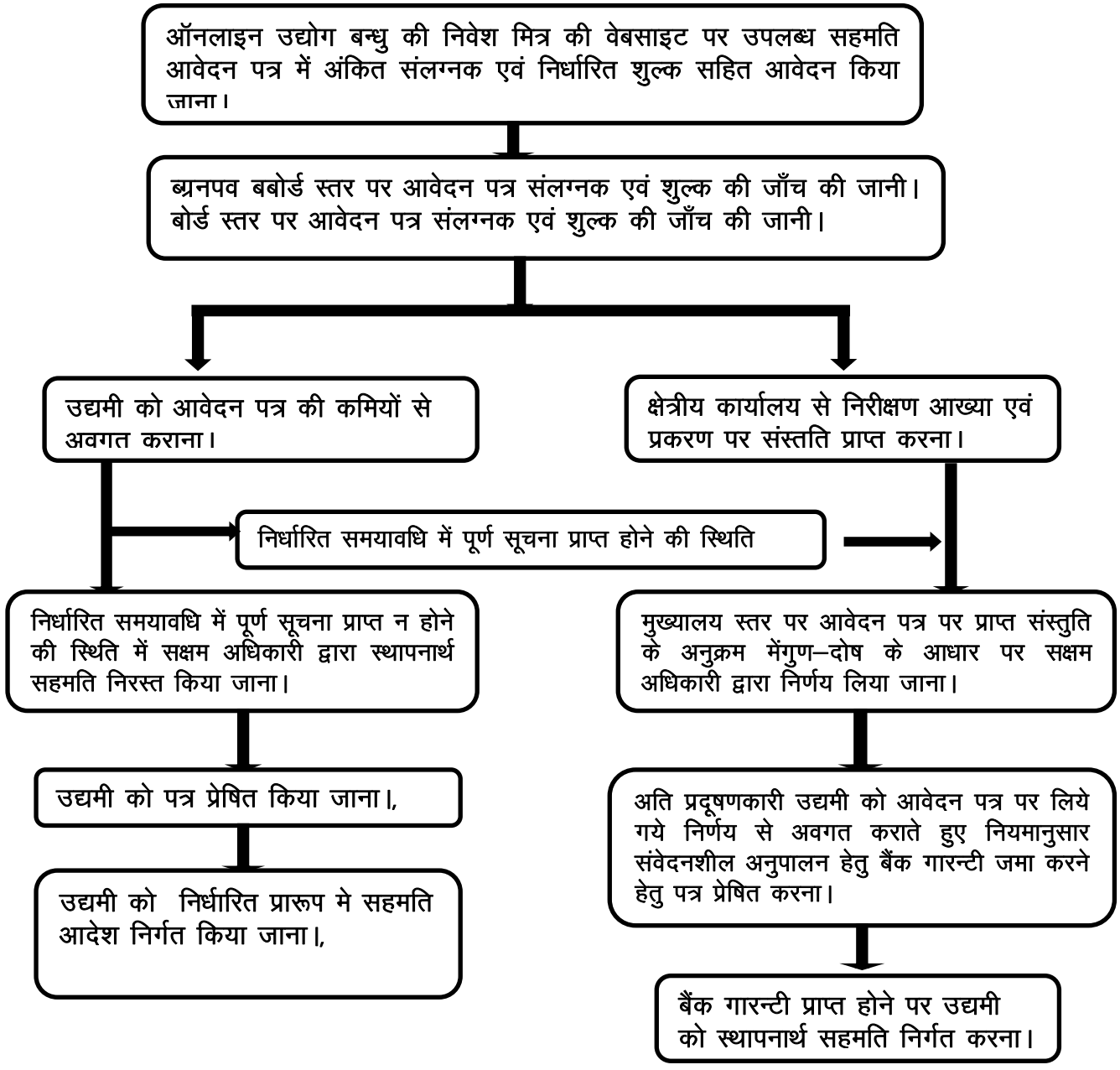

स्त्रोत: (www.spcb.nic.in)

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निरतारित होने वाले उद्योगो से पाप्त स्थापनाथ सहमति (अनापतित प्रमाण पत्र)

सर्वप्रथम प्रकिया में ऑनलाइन उद्योग बन्धु की निवेश मित्र की वेबसाइट पर उपलब्ध स्थापनार्थ सहगति आवेदन पत्र में अंकित संलग्नक एवं निर्धारित शुल्क सहित आवेदन किया जाता है। द्वितीय प्रकिया में, बोर्ड स्तर पर आवेदन पत्र संलग्नक एवं शुल्क की जाँच की जाती है। तृतीय प्रकिया में, उद्यमी को आवेदन पत्र की कमियों से अवगत कराते है।चर्तुथ प्रकिया में निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा स्थापनार्थ सहमति निरस्त किया जाता है तथा उद्यमी को पत्र प्रेषित किया जाता है।,पंचम प्रकिया में, निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण एवं नमूना एकत्रण एवं संस्तुति प्राप्त करते है।षष्ठ प्रकिया में सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र पर प्राप्त संस्तुति के अनुक्रम में गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है एवं उद्यमी को आवेदन पत्र पर लिये गये निर्णय से अवगत कराते है।

आवेदन पत्रों के निस्तारण का फलो चार्ट

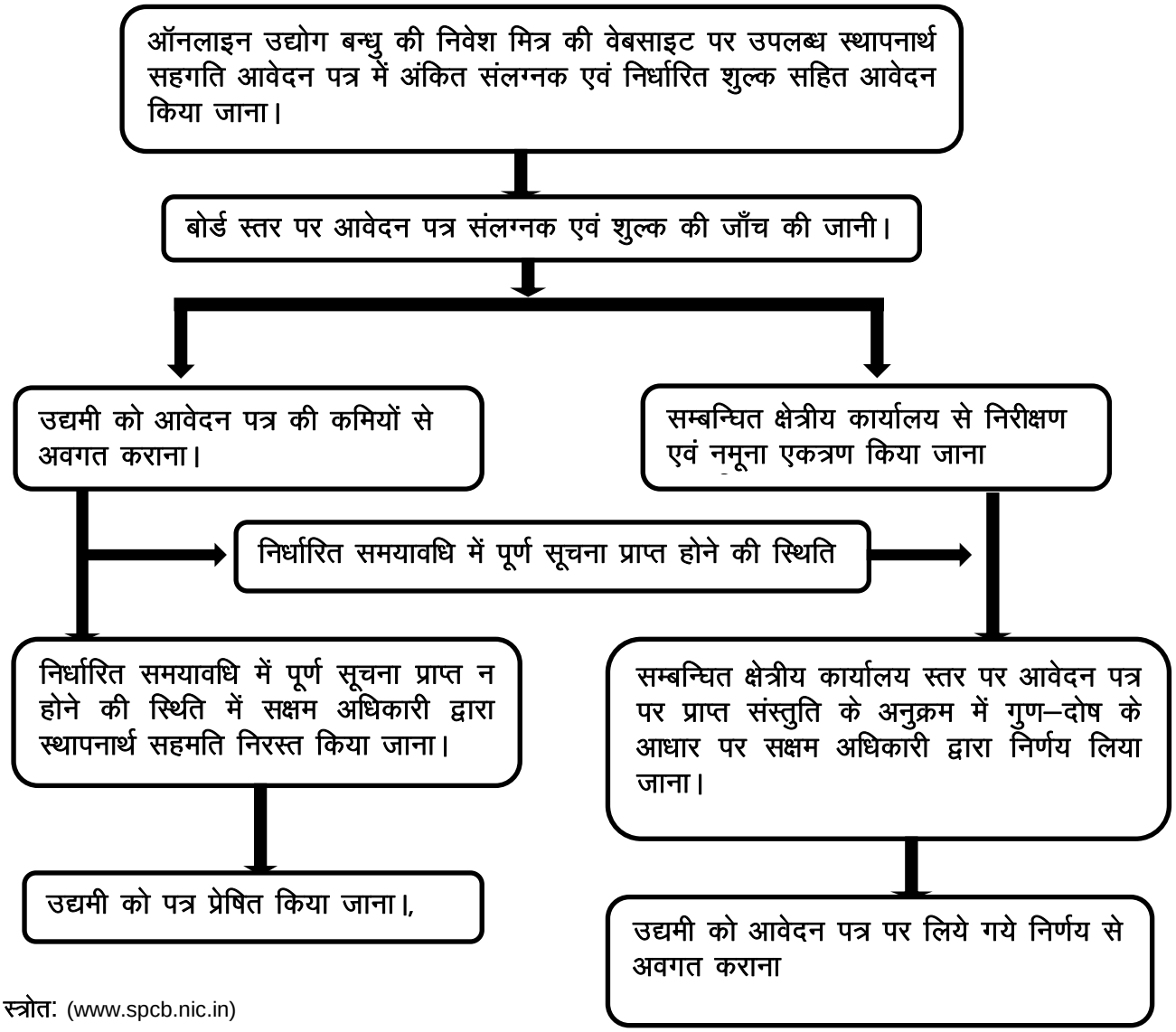

स्त्रोत: (www.spcb.nic.in)

परिसंकट अपशिष्ट नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकार विषयक आवेदन पत्रो का निस्तारण का फलो चार्ट

सर्वप्रथम ऑनलाइन उद्योग बन्धु की निवेश मित्र की वेबसाइट पर उपलब्ध प्राधिकार आवेदन पत्र में अंकित संलग्नक टी0 एस0 डी0 एफ0 (Treatment, Storage, Disposal Facility) की सदस्यता प्रमाण प्रत्र की सूचना सहित आवेदन किया जाता है। द्वितीय उद्यमी द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया जाना तथा क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण आख्या एवं प्रकरण पर संस्तुति प्राप्त किया जाता है। अन्तिम उद्यमी को निर्धारित प्रारूप मे विशिष्ट शर्तो के साथ निश्चित अवधि हेतु प्राधिकार निर्गत किया जाता है

आवेदन पत्रों के निस्तारण का फलो चार्ट

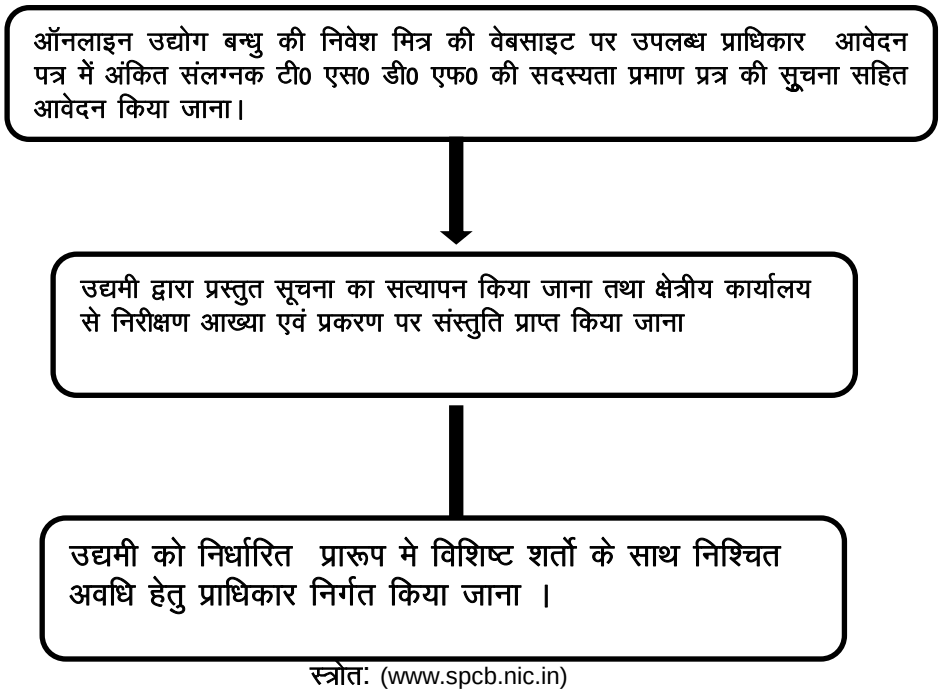

स्त्रोत: (www.spcb.nic.in)

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तिया प्रदान की गई है।

1. सूचना प्राप्त करने की शक्ति 20 धारा
2. विश्लेषण हेतु नमूने लेने की शक्ति 21 धारा
3. प्रवेश एवं निरीक्षण करने की शक्ति 23 धारा
4. नये आउटलेट तथा नये निर्वहन पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति 25 धारा
5. उद्योग स्थापना सहमति वापस लने की शक्ति 27 धारा
6. विशेष कार्य करने की शक्ति 30 धारा
7. प्रवाह धारा अथवा कुए के प्रदूषण के विषय मे आपातकालीन संचालन करने की शक्ति 32 धारा
8. प्रदूषण को रोकने के लिए सक्षम न्यायालय मे आवेदन करने की शक्ति 33 धारा
9. निर्देश देने की शक्ति 33 ए धारा

उपयुर्क्त शक्तियो द्वारा समाज मे फैले जल प्रदूषण का रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष

शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि पर्यावरण संरक्षण बेहतर दिशा मे कार्यरत प्रर्दशित हो रहे है। शोध प्रपत्र में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण द्वारा अपनायी गई मुख्यतः जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत जल संरक्षण हेतु अपनायी अत्याधुनिक ई0 टी0 पी0 (Effluent Treatment Plant) तकनीक से है जोकि प्रत्यक्षतः इन्टरनेशनल नेटर्वक के माध्यम से आनॅलाइन निन्रतर 24 घण्टे निरीक्षण किया जा सकता है। अतः राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतू पर्यावरणीय निष्पादन का मूल्यांकन करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के अन्तगर्त प्रदत्त पर्यावरणीय संरक्षण हेतू निरन्तर कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रही है। जिसका एक मुख्य कारण पर्यावरण मानक की कमी को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2010 मे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक न्यायालय का निर्माण किया गया है। जिसमे पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण सम्बन्धित मामले का सुनवाई होती है। लेकिन पर्यावरण सम्बन्धित समस्त खर्च पर्यावरणीय लागत एंव पूँजीगत खर्च अपशिष्ट उपचार सयन्त्र की लागत, हास विधि, पुनःचक्रण द्वारा प्रदान की जाने वाली विधि आदि महत्वपूर्ण सूचनाएँ नही प्रदान कर रही है।

सुझाव

पर्यावरणीय संरक्षण हेतु पर्यावरणीय विनियात्मक प्रक्रिया 24 घण्टे सात दिन निरन्तर करना समय की मांग

है अतः आधुनिक तकनीकी के साथ पर्यावरणीय संरक्षण प्रणाली को अनिवार्य रूप से अनुपालन होना चाहिए। इसके अलावा प्रमापित परिचालन प्रकिया की दिशा निर्देशानुसार अपने प्रकृति के प्रति नैतिक कर्तव्यो को पूर्णतः ईमानदारी के साथ निभाना अनिवार्य होना चाहिए। जिससे कि हम सभी स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना को पर्णू कर सके।

Reference

1. *Bhate, S. (2002) One world One environment, one vision: are we close to achiving this an explanatory study of consumer environmental behavior across three countries. Journal of consumer behavior, 2 (2) 169-184.*
2. *Gray, G., javed M. et all (2016). Social and Environmental disclosure and corporate characterististics: A research note and extension. Journal of business finance & accounting. 28 (2, 3) page no. 327-356.*
3. *Hossin, M.(2015) corporate environmental disclosure in developing countries : evidence from Bangladesh. Bangladesh environment, 1(12) page no. 1077.*
4. *Imam, S. (2000).Environmental reporting in Bangladesh. Journal of social and environmental accounting, 19(2), page no.12-14.*
5. *Rahman, M.A. and Muttakin, M.B.(2015). Corporate environmental reporting practice in Bangladesh: A study of some selected companies. The cost and management, 33(4) page no. 13-21.*
6. *Romlah, J., Takiah, M. I. and Nordin, M.(2002) An investigation of environmental disclosures : Evidence from selected industries in Malaysia. International Journal of Business and Society. 3(2) page no. 55.*
7. *Report of State Pollution Board uttar Pradesh*